राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या ...89, 90, 91/2014.....जिला–जयपुर

उनवानः मैसर्स खाटूश्याम एन्टरप्राईजेज, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2014	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** उक्त तीनों परिशोधन प्रार्थना पत्र, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा अधोहस्ताक्षरियों की पीठ द्वारा पारित निर्णय क्रमशः अपील संख्या 1539, 1540 व 1541/14/जयपुर, निर्णय दिनांक **09.09.2014** के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थी व्यवहारी की ओर से श्री जी.एन.शर्मा व विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद उप–राजकीय अभिभाषक बहस हेतु दिनांक 29.09.2014 को उपस्थित हुये। प्रार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत **एस.बी. रिवीजन पिटीशन कमांक135/2013 निर्णय दिनांक 03.09.2014** मैसर्स ब्रिजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ़ को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि उक्त प्रोद्धरित प्रकरण में समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्णय दिनांक 21.02.2013 के जरिये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार किये जाने संबंधी पारित आदेश को अपास्त कर, मैसर्स ब्रिजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ़ के प्रकरण में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर की मुजरा राशि के संबंध में कायम मांग राशियों की वसूली पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रोक लागायी गयी है। अतः प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों के जरिये अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित निर्णय को अधिनियम की धारा 33 के परिधि में होने का कथन कर, पारित संयुक्तादेश परिशोधित करने की प्रार्थना कर, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को स्वीकार कर, निर्धारण वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 में	

लगातार.....2

01.10.2014

परिशोधन प्रार्थन पत्र संख्या–89 व 91/2014/जयपुर

कायम वसूली योग्य मांग राशि रू.7,26,814/–, रू.8,02,813/– व रू.39,39,853/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत **1994 166 सी.टी.आर. 284, 137 एस.टी.सी. 517, 216 आई.टी.आर. 543 को प्रोद्धरित कर,** अधोहस्ताक्षरियों की पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2014 को अधिनियम की धारा 33 के तहत् अभिलेख की प्रकट भूल होने के कारण, उक्त को परिशोधित करने का निवेदन किया गया ।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253** को प्रोद्धरित कर, पारित आदेश को अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं होने का कथन कर, प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । गुणावगुण का विस्तृत विश्लेषण कर, अधोहस्ताक्षरियों की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक **09.09.2014** को पारित किया गया है, जिसका पुनर्विलोकन कर, परिशोधन करना अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं है । जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालिया न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253** में छपा है, में यह अवधारित किया है कि परिशोधन में पुनर्विलोकन (review) शामिल नहीं है । अतः माननीय शीर्ष न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जाता है ।

निर्णय प्रसारित किया गया।

1.10.2014
(मनोहर पुरी)
सदस्य

1-10-14
(मदन लाल)
सदस्य